



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष 1947 (श10)
(सं0 पटना 1811) पटना, सोमवार, 29 दिसम्बर 2025

परिवहन विभाग

अधिसूचना
23 दिसम्बर 2025

सं0 06/दुर्घटना दावा मुआवजा-02/2023-10045—परिवहन विभाग की अधिसूचना सं0-4723, दिनांक-12.06.2025 द्वारा अध्यक्ष, बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पद पर नियुक्त अध्यक्ष को उनके नाम के सामने स्तम्भ-3 में अंकित दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम	दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का नाम
1	2	3
1	श्री मनोज कुमार सिंह	अध्यक्ष, बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मुंगेर।
2	श्री अखिलेश कुमार जैन	अध्यक्ष, बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पटना।
3	श्री राम लाल शर्मा	अध्यक्ष, बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, सहरसा।
4	श्री राम प्रवेश दास	अध्यक्ष, बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, डेहरी।

2. सभी पदस्थापित अध्यक्ष अपने पदस्थापन से संबंधित कार्यालय में एक सप्ताह के अंदर प्रभार ग्रहण कर लेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रवीण कुमार,
अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1811-571+10-डी0टी0पी0
Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>